कार्यालय छावनी परिषद्
मुरार, सुभाष मार्ग,
मुरार छावनी (ग्वालियर–474006)

Office of the Cantonment Board
Morar, Subhash Marg,
Morar Cantt (Gwalior – 474006)

फोन : 0751–2368703 फैक्स : 0751–2462823 ईमेल: ceomora-stats@nic.in वेबसाइट: www.cbmorar.org.in

क्रमांकः 6/43/मिस–एमसी/1040 दिनांक 23 मार्च, 2020

आवश्यक लोक –सूचना

नोवेल कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संकमण से बचाव के उपाय किये जाने हेतु छावनी क्षेत्र की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं, अध्यक्ष, छावनी बोर्ड, मुरार छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत जन कल्याण के हित एवं कोरोना वायरस के संकमण से जान–माल को सुरक्षित रखने हेतु दैनिक जीवन की आवश्यक सेवाएं जैसे– दवा, दूध, फल, सब्जी तथा राशन बिकी की दुकानें, स्वास्थ्य सेवाएं तथा साफ सफाई सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें, समस्त पार्क, सार्वजनिक स्थल, कोचिंग सेंटर, विद्यालय व निजी संस्थान छावनी क्षेत्र, मुरार में दिनांक 31/03/2020 तक बन्द रहेंगे।

नोवेल कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संकमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से छावनी बोर्ड कार्यालय में आम जनता का प्रवेश दिनांक 31/03/2020 तक प्रतिबंधित रहेगा। छावनी बोर्ड, मुरार की स्वास्थ्य सेवाएं तथा सफाई सेवाएं जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की साफ–सफाई के सम्बन्ध में शिकायत कार्यालय मेल आईडी www.morarcb@gmail.com पर करें अथवा मोबाईल नं0 9755572742 व 8949409112 पर सम्पर्क करें।

यह सूचना छावनी क्षेत्र के जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शान्ति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये जारी की गई है। किसी भी नागरिक के द्वारा उपरोक्त के उल्लंघन या दोषी पाये जाने की दशा में भारतीय दंण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन कार्रवाई की जायेगी जिसके तहत 6 माह तक का कारावास या रू0 1000/– तक के जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितयों में शिथिल रहेंगे :–

4. मेडीकल, मास्क, सेनिटाईजर की दुकान, हॉस्पीटल, पेट्रोल पंम्प इससे मुक्त रहेंगे।
5. फल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान पीडीएस दुकान प्रातः 06:00 बजे से 12:00 बजे तक खुल सकेगें।
6. एलपीजी, गैस कम्पनी के सिलेण्डरों की आपूर्ति सम्बन्धी वाहन, पशु चारा आवश्यक वस्तुओं/सेवाएं जो इस सूचना में उल्लिखित हों, को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा।

(ब्रिगेडियर सुशिम विस्वास)
अध्यक्ष, छावनी परिषद
मुरार, ग्वालियर

प्रतिलिपि :

1. मुख्यालय, दक्षिण कमान, पूणे – सूचनार्थ।
2. प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, रक्षा मंत्रालय, दक्षिण कमान, पुणे – सूचनार्थ।
3. स्टेशन हेडक्वाटर्स, मुरार कैन्ट – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर – सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर – सूचनार्थ।
6. पुलिस थाना, मुरार, ग्वालियर – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सम्बन्धित कार्यालय अनुभाग प्रमुख – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त निर्वाचित सदस्य – सूचनार्थ ।
10. कार्यालय नोटिस बोर्ड व समस्त वार्ड, चस्पा हेतु

Scanned with CamScanner